SBL ब्लास्ट : एक और महिला कर्मी की मौत

स्लग-हादसे में मृतकों की संख्या हुई 21

बाजारगांव, संवाददाता. नागपुर जिले के काटोल तहसील के राउलगांव में स्थित एसबीएल एनर्जी लिमिटेड की एक्सप्लोसिव फैक्ट्री में 1 मार्च को हुए भीषण ब्लास्ट में गंभीर रूप से घायल एक और महिला कर्मचारी की इलाज के दौरान मौत हो गई. आम्रपाली अनिल कालसर्पे (38) ने 7 मार्च की रात नागपुर के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली. इसके साथ ही हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 21 हो गई.

1 मार्च को सुबह 7 से 8.30 बजे के बीच फैक्ट्री की 16-बी और 20-बी नॉनल क्रिम्पिंग यूनिट में एक के बाद कई जोरदार धमाके हुए थे. धमाकों की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी थी, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई थी. इस हादसे में अब तक 19 महिलाएं और 2 पुरुष मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 से अधिक मजदूर झुलसकर घायल हुए हैं और उनका नागपुर के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है. मृतक आम्रपाली कालसर्पे के पति का 2 वर्ष पहले निधन हो चुका है. उनके दो बच्चे आर्या (14) और उमंग (12) हैं. मां के निधन से दोनों बच्चों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और अब वे बेसहारा हो गये हैं. इस घटना के बाद एक्सप्लोसिव इंडस्ट्री में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं. स्थानीय विधायक चरण सिंह ठाकुर ने विधानसभा में मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है. वहीं नागरिकों, सामाजिक संगठनों और पूर्व जिप सदस्य सलिल देशमुख ने भी एक्सप्लोसिव इंडस्ट्री में सख्त सुरक्षा नियम लागू करने की मांग की है.

3 लाख के माल पर हाथ साफ

नागपुर. गिट्टीखदान थाना क्षेत्र में चोरों ने एक घर में सेंध लगाकर 3 लाख रुपये के माल पर हाथ साफ कर दिया. पुलिस ने नर्मदा कालोनी, काटोल रोड निवासी आयुष ललित तिवारी (25) की शिकायत पर मामला दर्ज किया है. आयुष पिछले कुछ समय से पुणे में रह रहा है. नर्मदा कालोनी में माता-पिता रहते हैं. दादी की मृत्यु होने के कारण आयुष के माता-पिता विगत 4 फरवरी को घर पर ताला लगाकर अंतिम संस्कार के लिए बनारस गए थे. वहां से अपने मूल गांव आरा बिहार चले गए. तब से घर बंद था. इसी बीच चोरों ने दरवाजे का ताला और कुंडी तोड़कर भीतर प्रवेश किया. बेडरूम की अलमारियों से सोने और चांदी के जेवरात चोरी कर लिए. शनिवार को आयुष अपने घर पहुंचे तो चोरी का पता चला और पुलिस को जानकारी दी. पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच आरंभ की है.

कार ने दोपहिया सवार को उड़ाया

नागपुर. कलमना थाना क्षेत्र में एक कार चालक ने दोपहिया पर सवार व्यक्ति को टक्कर मार दी. उपचार मिलने से पहले ही जख्मी दोपहिया सवार की मौत हो गई. मृतक बालाजीनगर, कलमना निवासी नीतेश ईश्वर बोरकर (38) बताए गए. पुलिस ने नीतेश की मां पुष्पलता की शिकायत पर कार क्र. एम.एच.02-सी.जेड.8996 के चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है. शनिवार की रात 12 बजे के दौरान नीतेश अपने दोपहिया वाहन क्र. एम.एच.49-बी.ए.7434 पर ओल्ड कामठी रोड से घर लौट रहा था. जवाहर पेट्रोल पम्प के सामने उपरोक्त कार के चालक ने लापरवाही से रैश ड्राइविंग करते हुए नीतेश की गाड़ी को सामने से टक्कर मार दी. वह बुरी तरह जख्मी हो गया. आरोपी कार चालक घटनास्थल से भाग गया. स्थानीय नागरिकों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी और नीतेश को उपचार के लिए मेयो अस्पताल ले जाया गया. डाक्टर ने जांच करते ही उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी चालक की तलाश शुरु कर दी है.

डीपीसी के जिले को 829 करोड़ मिले कम

- 1,850 करोड़ रुपयों की थी मांग
- 1,021 करोड़ रुपये किए गए मंजूर

नागपुर, निज संवाददाता. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जिला वार्षिक योजना के तहत नागपुर जिले के लिए 1,850 करोड़ रुपयों की मांग का प्रस्ताव भेजा गया था लेकिन सरकार ने केवल 1,021 करोड़ रुपयों को ही मंजूर किया. कुल मांग में से 829 करोड़ रुपये उपराजधानी को कम मिले हैं. आशा यह जताई जा रही थी कि सीएम अपने गृह जिले को बीते वर्ष की तुलना में अधिक निधि देंगे लेकिन बीते वर्ष से भी 26 करोड़ रुपये कम मिले हैं. पिछले वर्ष 2025-26 में 1,047 करोड़ की निधि मंजूर की गई थी. समझा जा रहा है कि राज्य की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी जिलों की निधि में कटौती की गई है. हालांकि पुणे को सर्वाधित 1,300 करोड़ रुपये और मुंबई उपनगर को 1,105 करोड़ दिये गये हैं. तीसरे स्थान पर नागपुर को रखा गया है. सीएम ही वित्त मंत्रालय भी देख रहे हैं जिसके चलते नागपुर जिले के लिए कटौती समझ से परे बताई जा रही है.

21,867 करोड़ का है प्रावधान

बता दें कि राज्य के बजट में जिलेवार योजनाओं के लिए निधि का प्रावधान किया जाता है. जिले की जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्र जैसे विभिन्न मानदंड देखे जाते हैं. पालक मंत्री की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर जिलेवार नियोजन किया जाता है. फिर वित्त मंत्री की अध्यक्षता में समिति इस योजना पर विचार करती है और अंतिम रूप देती है. चालू वित्तीय वर्ष हेतु बजट में डीपीसी के लिए 21,867 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो बीते वर्ष 2025-26 के लिए 20,165 करोड़ रुपये था. इस वर्ष के लिए 1,702 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है.

बढ़ते कर्ज का असर

राज्य पर बढ़ते कर्ज के बोझ के साथ-साथ विभिन्न योजनाओं के लिए धन की आवश्यकता को देखते हुए 2026-27 के आर्थिक वर्ष में डीपीसी निधि में और कटौती होने की संभावना व्यक्त की जा रही थी. दिवंगत वित्त और नियोजन मंत्री अजीत पवार ने जिलों के वार्षिक योजनाओं को तैयार करते समय प्रशासन को कुछ सुझाव दिए थे. मुख्यमंत्री फडणवीस इस बारे में अधिक स्पष्ट हैं और उन्हें राज्य की वास्तविक आर्थिक स्थिति का पूरा अंदाजा है. पवार की योजना को उनका समर्थन भी प्राप्त था. राज्य पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े, इसके लिए उनके प्रयास रहे हैं. इसलिए राज्य के सभी जिलों से भेजी गईं योजनाओं का अध्ययन कर डीपीसी निधि के वितरण में थोड़ी कटौती की गई है.

803 करोड़ की थी अतिरिक्त मांग

जिले को 2025-26 के आर्थिक वर्ष में 1,047 करोड़ रुपये मिले थे. इनमें से कितने प्रतिशत का खर्च हुआ, इसका आकलन प्रशासनिक स्तर पर किया गया था. योजनानुसार निधि की मांग की गई थी और यह भी देखा गया कि उस पर कितना खर्च हुआ. जिले ने इस बार 1,850 करोड़ की मांग की थी, जो पिछले आर्थिक वर्ष से 803 करोड़ अधिक थी. डीपीसी निधि से जिले में होने वाले विकास कार्यों और योजनाओं के लिए वार्षिक योजना में कितनी राशि निर्धारित की गई और उसका कितना खर्च हुआ, यह देखने के बाद सरकार ने निधि के संदर्भ में निर्णय लिया.

प्रकाश आंबेडकर की पात्रता जांचें, म्हाडा बंगला आवंटन मामला में हाई कोर्ट का आदेश

नगर संवाददाता

नागपुर. म्हाडा बंगला आवंटन मामले में विनायक महादेव कटरे द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश अनिल किल्लोर और न्यायाधीश राज वाकोडे ने महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) को निर्देश दिया है कि वह उमरी उमरखेड़ की 'एचआईजी बंगला योजना 2002' के तहत आवास आवंटन के लिए प्रकाश आंबेडकर की पात्रता की प्राथमिकता से जांच करे. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि वे अपात्र पाए जाते हैं तो प्रतीक्षा सूची में पहले स्थान पर मौजूद याचिकाकर्ता के दावे पर विचार किया जाए.

पहले से अचल संपत्ति मौजूद

इस योजना की प्रतीक्षा सूची में नंबर 1 पर स्थित याचिकाकर्ता कटरे ने अदालत से मांग की थी कि म्हाडा को प्रतीक्षा सूची आगे बढ़ाने के निर्देश दिए जाएं. याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क यह है कि प्रकाश यशवंत आंबेडकर इस आवंटन के लिए पात्र नहीं हैं क्योंकि उनके पास पहले से ही नगरपालिका क्षेत्र में अचल संपत्ति मौजूद है. याचिका में म्हाडा विनियम, 1981 के नियम 9(1) का हवाला दिया गया है. इस नियम के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति, उसके जीवनसाथी या उसके नाबालिग बच्चों के नाम पर संबंधित नगरपालिका क्षेत्र में पहले से ही कोई घर, फ्लैट या आवासीय भूखंड (प्लॉट) है तो वह व्यक्ति म्हाडा के आवास के लिए आवेदन करने का पात्र नहीं माना जाएगा.

जिला उपभोक्ता फोरम ने दिया है आदेश

सुनवाई के दौरान म्हाडा और प्रकाश आंबेडकर के वकीलों ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि आंबेडकर के पास नगरपालिका क्षेत्र में एक खुला भूखंड है. हालांकि म्हाडा की ओर से बताया गया कि अतिरिक्त शुल्कों को लेकर आंबेडकर द्वारा दायर शिकायत के बाद जिला उपभोक्ता फोरम ने उनके पक्ष में आदेश दिया था जिसे वर्तमान में राज्य आयोग में चुनौती दी गई है और इसी कारण आवंटन प्रक्रिया रुकी हुई है. दोनों पक्षों की दलीलों के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि चूंकि अब तक आधिकारिक तौर पर आवंटन नहीं किया गया है, इसलिए म्हाडा सबसे पहले नियम 9(1) के तहत प्रकाश आंबेडकर की पात्रता तय करे. यदि आंबेडकर अपात्र पाए जाते हैं.

83 वर्षीय बुजुर्ग को राहत : नियमितीकरण पर जिलाधिकारी 4 सप्ताह में लें निर्णय : हाई कोर्ट

नगर संवाददाता

नागपुर. नजूल भूखंड के नियमितीकरण को लेकर जिलाधिकारी की ओर से कोई भी निर्णय नहीं लिए जाने पर धनराज पांडे ने हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की जिस पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश अनिल किल्लोर और न्यायाधशीश राज वाकोडे ने महत्वपूर्ण फैसला देते हुए जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि वे 83 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक याचिकाकर्ता के नजूल भूखंड के नियमितीकरण से संबंधित

आवेदन पर 4 सप्ताह के भीतर निर्णय लें. याचिकाकर्ता की अधि. सीएफ भगवानी और राज्य सकार की अतिरिक्त सरकारी वकील एसएम उके ने पैरवी की.

नियमित नजूल किराया का भुगतान

याचिकाकर्ता की पैरवी कर रहे वकील ने कोर्ट को बताया कि मामला शहर के महल क्षेत्र का है जहां गंगाबाई घाट रोड स्थित मनपा हाउस नंबर 1066 के मालिक धनराज जगनराव पांडे ने यह याचिका दायर की. याचिकाकर्ता के अनुसार, वे वर्ष 1982-83 से नजूल प्लॉट नंबर 61 के लगभग 200 वर्गफुट के हिस्से पर काबिज हैं और वहां आवासीय निर्माण कर रह रहे हैं. उनके पास 20 अगस्त 1983 की टैक्स रसीद भी है जिससे यह सिद्ध होता है कि वे तब से नियमित रूप से नजूल किराया जमा कर रहे हैं.

लंबे समय से लंबित था आवेदन

याचिकाकर्ता ने इस अतिक्रमण को नियमित करने के लिए वर्ष 2021 में जिलाधिकारी कार्यालय में आवेदन दिया था. यहां तक कि विभागीय आयुक्त ने भी 11 नवंबर 2024 को पत्र के माध्यम से जिलाधिकारी को इस प्रस्ताव पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था. इसके बावजूद, पिछले कई वर्षों से इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया. मामले में लगातार हो रही देरी को देखते हुए हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों के बाद जिलाधिकारी को इस आदेश की प्रति मिलने के 4 सप्ताह के भीतर नियमितीकरण के आवेदन पर निर्णय लेने का आदेश दिया, साथ ही कहा कि लिए गए निर्णय से अगले 2 सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को सूचित किया जाए.

एक नजर में

सुंदरकांड महिला मंडल की बहनो का सम्मान

मुलताई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सुंदरकांड महिला मंडल की बहनों का सम्मान किया गया।अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रविवार को नगर के भगतसिंह वार्ड में सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया।कार्यक्रम की आयोजक ग्राम चिल्हाटी निवासी माहेश्वरी पवार ने बताया लैंगिक समानता एवं नारी सशक्तिकरण के लिए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जो बहने अपने गृहस्थी को संभालने के साथ पारिवारिक दायित्व का निर्वहन करते हुए अपने व्यस्त समय में से कुछ समय भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए निकालती हैं। उन बहनों का सम्मान जरूरी है। सुंदरकांड महिला मंडल से जुड़ी बहनों द्वारा घर घर पहुंचकर सुंदरकांड का पाठ करते हुए युवा पीढ़ी को भारत की धार्मिक और पौराणिक संस्कृति से जुड़े रहने के लिए प्रेरित करने का जो पुनीत कार्य किया जा रहा है वह सराहनीय है।कार्यक्रम में सुंदरकांड मंडल की सदस्य किरण पवार ,गीता पवार ,कविता देशमुख ,पुष्पा निरापुरे, सुनीता रावत, वंदना देशमुख ,सुनीता वैष्णव ,लता परिहार, कुसुम मालवी, नीलम पाल, वंदना साहू. सहित अन्य बहनो का पुष्पहार से सम्मान किया गया।इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने समाज में महिलाओं की भूमिका संघर्ष और सफलता पर विचार रखते हुए कहा वर्तमान परिवेश में महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही है।

फागुन मेले में युवक की चाकू मारकर हत्या, 3 आरोपी गिरफ्तार

बैतूल। आठनेर थाना क्षेत्र में आयोजित फागुन मेले के दौरान पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया।

डीजे पर नाचने के पुराने विवाद में वारदात

आरोपियों के बताये निशानदेही से चाकू बरामद

पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या का प्रकरण दर्ज कर मुख्य आरोपी सहित तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया है। घटना 5 मार्च की शाम ग्राम हिरादेही में लगे फागुन मेले की है। पुलिस के मुताबिक, ग्राम बैरमढाना निवासी चश्मदीद राम प्रसाद ने रिश्तेदार के घर के बाहर विवाद देखा। वहां सातकुंड निवासी आरोपी मोहित बाडिया अपने साथियों के साथ मिलकर गोविंद और विशाल से गाली-गलौज व मारपीट कर रहा था। विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने धारदार चाकू निकालकर हमला कर दिया। गोविंद की कमर में और विशाल की जांघ व कंधे पर चाकू के गंभीर वार किए गए। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने गोविंद को मृत घोषित कर दिया, जबकि विशाल का इलाज जारी है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इस हत्याकांड की असली वजह एक पुराना विवाद था। करीब दो सप्ताह पहले एक शादी समारोह के दौरान डीजे पर नाचने को लेकर गोविंद, विशाल और आरोपी मोहित के बीच कहासुनी हुई थी। इसी बात की रंजिश पाले बैठे आरोपियों ने मेले में दोनों को अकेला पाकर इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस आरोपियों से आगे की पूछताछ कर रही है।

होली खेलकर दिया सामाजिक समरसता का परिचय

मुलताई। रंग पंचमी के पावन अवसर पर रविवार को भारत विकास परिषद, माँ ताप्ती शाखा मुलताई द्वारा सामाजिक समरसता और आपसी प्रेम का एक सराहनीय उदाहरण प्रस्तुत किया गया। परिषद के सदस्यों ने मुलताई में किन्नर समुदाय के निवास स्थान पर पहुंचकर उन्हें रंग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर परिषद के सदस्यों ने किन्नर समुदाय के जनों के साथ आत्मीय मुलाकात की, उन्हें गुलाल लगाकर रंग पंचमी की शुभकामनाएं दीं तथा मिष्ठान खिलाकर एवं भेंट देकर पर्व की खुशियां साझा कीं। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में सभी वर्गों के बीच

आपसी सम्मान, प्रेम और समानता का भाव स्थापित करना था किन्नर समुदाय लंबे समय से समाज की मुख्य धारा से कुछ हद तक दूर रहा है। ऐसे में भारत विकास परिषद द्वारा उनके बीच जाकर त्योहार की खुशियां साझा करना सामाजिक समरसता की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल है। परिषद का यह प्रयास समाज में यह संदेश देता है कि हर व्यक्ति समान सम्मान और अपनत्व का अधिकारी है। इस पहल की नगर में सराहना की जा रही है। इस अवसर पर परिषद के जिला समन्वयक राजीव जैन, शाखा अध्यक्ष प्रशांत भार्गव, मुकेश जैन, देवेंद्र धोपाडे, अभिषेक खंडेलवाल, संदीप तारे, भारत भूषण चौधरी, डॉ. राजेंद्र ठाकुर, सुनेंद्र देशमुख, विनोद जैन एवं सुमित पंजाबी सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने एक-दूसरे को रंग पंचमी की शुभकामनाएं देते हुए समाज में प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का संदेश दिया।

कबाड़खाना संचालक पर पुलिस ने दर्ज किया मामला

बैतूल। थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत इटारसी रोड स्थित कबाड़खाने में लगी भीषण आग के मामले में कबाड़खाना संचालक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है।7 मार्च को शाम लगभग 6 बजे इटारसी रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास संचालित रशीद खान के कबाड़खाने में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। कबाड़खाने में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक, रबर टायर, वाहनों का स्क्रैप एवं अन्य ज्वलनशील सामग्री असुरक्षित तरीके से रखी होने के कारण आग तेजी से फैल गई और पूरे कबाड़ के ढेर को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक देवकरण डेहरिया एवं थाना प्रभारी गंज निरीक्षक नीरज पाल पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे और आसपास के क्षेत्र को सुरक्षित करते हुए स्थिति को नियंत्रित करने की कार्रवाई प्रारंभ की गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बैतूल वीरेंद्र जैन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती कमला जोशी, एसडीओपी बैतूल सुनील लाटा, रक्षित निरीक्षक दिनेश मर्सकोले, सीन ऑफ क्राइम एक्सपर्ट निरीक्षक आबिद अंसारी, थाना प्रभारी बैतूल बाजार निरीक्षक अंजना धुर्वे एवं यातायात प्रभारी गजेंद्र केन सहित पुलिस बल मौके पर उपस्थित रहा। तत्काल दमकल विभाग को सूचना दी, जिस पर बैतूल, बैतूल बाजार, शाहपुर, घोड़ाडोंगरी, आठनेर एवं मुलताई से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। लगभग तीन घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान एसडीएम बैतूल एवं तहसीलदार भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा जेसीबी मशीन की सहायता से कबाड़ को हटाकर दमकल टीम द्वारा आग को पूरी तरह बुझाया गया। थाना कोतवाली में आरोपी रशीद खान के विरुद्ध धारा 326(एफ), 110, 324(4), 324(3), 272, 280, 285, 287 बीएनएस, धारा 4 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 तथा धारा 139 म.प्र. विद्युत अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है।

पूर्ण वेतन नहीं देने से नाराज मजदूरों ने शुरू की भूख हड़ताल

पाथाखेड़ा। वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) के पाथाखेड़ा क्षेत्र की खदानों में ठेका मजदूरों का वेतन विवाद अब और गंभीर होता जा रहा है। अनिश्चितकालीन आंदोलन शनिवार को दसवें दिन भी जारी रहा। मजदूरों ने आरोप लगाया है कि ठेकेदारों की नई रणनीति को प्रबंधन के कुछ अधिकारियों का संरक्षण मिलने की आशंका है, जिससे औद्योगिक शांति भंग होने का खतरा मंडरा रहा है। सूत्रों के अनुसार शनिवार शाम लगभग चार बजे जीएम कार्यालय में अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच बैठक भी हुई, जिसमें मजदूरों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं आंदोलनरत मजदूरों का

आरोप है कि ठेकेदारों द्वारा मजदूरों के बीच फूट डालने की कोशिश की जा रही है। कुछ मजदूरों को कम हाजरी दिखाकर मात्र लगभग 500 के आसपास वेतन डालने की बात भी सामने आई है। मजदूरों ने यह भी आरोप लगाया कि वर्कशॉप में कार्यरत मजदूरों के साथ ठेकेदार निहुरूदीन द्वारा अभद्र व्यवहार(गली गलौज) किया गया और उन्हें धमकाकर वहां से लात मारकर भगा देने की बात कही। मजदूरों का कहना है कि देश की एक बड़ी सरकारी कंपनी में, जहां हजारों टन कोयले का उत्पादन होता है, वहां मजदूरों को पूरा वेतन नहीं मिलना गंभीर शोषण और प्रताड़ना का विषय है। आंदोलनरत मजदूरों का कहना है कि लगातार दस दिन बीत जाने के बावजूद प्रबंधन और ठेकेदारों की ओर से कोई ठोस और निर्णायक पहल नहीं की गई है। इससे मजदूरों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। समाजसेवी नेता प्रदीप नागले, संतोष देशमुख और मनोज पवार ने बताया कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो मजदूर भूख हड़ताल शुरू करने का निर्णय ले सकते हैं। इसके लिए प्रशासन को भी समय निर्धारित कर सूचना दी जाएगी। मजदूरों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को भूख हड़ताल का उग्र रूप दिया जा सकता है।

जनगणना के कारण बैतूल शहर की सीमा वृद्धि का प्रस्ताव अटका

नवभारत न्यूज

बैतूल, 8 मार्च. जनगणना के चलते सभी प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज की जा चुकी हैं। 2027 तक इनमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा। ऐसे में बैतूल नगरपालिका क्षेत्र की सीमा वृद्धि का मामला भी अब अधर में लटक गया है।

नगरपालिका ने जुलाई में लिया प्रस्ताव

जनगणना के कारण सीमाएं फ्रीज

दरअसल बैतूल शहर अभी 15 वर्ग किलोमीटर के दायरे में बसा है। शहर की सीमा में वर्ष 1994 के बाद से कोई बदलाव नहीं हुआ है। वर्ष 2007 में इसकी सीमाओं में बढ़ोतरी का प्रयास किया गया था, लेकिन यह कोशिश कामयाब नहीं हो पाई थी। अब एक बार फिर नगरपालिका ने इसके प्रयास शुरू किए थे। पिछले साल जुलाई महीने में नगरपालिका परिषद की बैठक में क्षेत्र विस्तार करने का प्रस्ताव लिया गया था। इसके बाद शासन की अनुमति लेने के लिए कलेक्टर के माध्यम से प्रस्ताव राज्य शासन को भी भिजवाया गया, लेकिन शासन से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, जिसके चलते इस दिशा में कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया जा सका। अब नगरपालिका के अगले साल होने वाले चुनाव के बाद ही कोई प्रोग्रेस हो सकेंगी, क्योंकि सीमा वृद्धि की पूरी प्रक्रिया चुनाव के एक साल पहले शुरू करना होता है। वैसे जानकारी के अनुसार नगरपालिका की सीमा विस्तार के तहत संभवतः शहर से सटे पांच क्षेत्र शामिल करने की योजना थी। जिसमें वर्तमान समय मरामझिरी पंचायत के अंतर्गत आने वाली सोनाहिल कॉलोनी और गउठाना के अंतर्गत आने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र के अलावा खकरा जामठी वाला सम्पूर्ण क्षेत्र, सोनाघाटी शिव मंदिर तक का इलाका, जो वर्तमान में मरामझिरी पंचायत के अधिकार क्षेत्र में है और ग्राम पंचायत बडोरा का द्वारका नगर आठनेर रोड पर सापना नदी की पुलिया तक और बैतूल बाजार रोड पर जानी ढाबा पेट्रोल पंप तक का इलाका सीमा विस्तार में शामिल है। शहर की सीमा वृद्धि से नगरपालिका और इन क्षेत्रों के लोगों, दोनों को ही लाभ होंगे। यह क्षेत्र अभी पंचायतों से काफी दूरी पर स्थित हैं। इससे पंचायतें भी इन पर समुचित ध्यान नहीं दे पाती है। इससे कई क्षेत्रों में अपेक्षित विकास नहीं हो सका है। नगरपालिका में शामिल होने से इन क्षेत्रों का विकास होगा और नागरिकों को सडक़, बिजली, जलापूर्ति, सहित मिलेगी।

सीमाएं फ्रीज, नहीं हो सकता बदलाव : दिसंबर 2025 को प्रदेश भर के जिलों, तहसीलों और सभी प्रशासनिक सीमाओं को फ्रीज कर दिया गया है। जनगणना संपन होने तक यह सीमाएं फ्रीज ही रहेंगी, इनमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा सीमा वृद्धि की यह प्रक्रिया नगरीय निकाय के चुनाव होने के एक साल पहले शुरू हो जाना चाहिए।

> नपा ने सीमा वृद्धि का प्रस्ताव लिया था। प्रस्ताव शासन को भिजवाया गया है, लेकिन अभी तक शासन से कोई जवाब नहीं आया है। अब जनगणना के कारण सीमाएं भी फ्रीज हो चुकी हैं। जनगणना के बाद ही कुछ हो सकता है।
>
> **- ब्रजगोपाल परते,** वरिष्ठ राजस्व निरीक्षक, नपा बैतूल

अभी नगरपालिका में शामिल है 33 वार्ड

नगरपालिका की सीमा वृद्धि से शहर का दायरा बढ़ जायेगा। हालांकि बैतूल शहर अभी 15 वर्ग किलोमीटर के दायरे में बसा है। लेकिन सीमा वृद्धि से शहर का दायरा ढाई से 5 किलोमीटर तक बढने की संभावना है। इसके अलावा सीमा वृद्धि के बाद वार्ड बढकर 36 तक भी किए जा सकते हैं। वैसे वादों की संख्या बढ़ाने की जरुरत पडने की संभावना नहीं है। सीमा वृद्धि के बाद परिसीमन की कार्यवाही की जाएगी। दूसरी ओर जिन पंचायतों का क्षेत्र लिया जाएगा, उनके दर्जे पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। केवल जनसंख्या में परिवर्तन होगा। पंचायत स्तर पर विकास कार्यों के लिए पर्याप्त जनसंख्या होगी।

परिषद की बैठक में लिया था निर्णय

नगरपालिका परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम न केवल जनहित में है, बल्कि इससे प्रशासनिक कार्यक्षमता और विकास की रफ्तार भी बढ़ेगी। यह निर्णय पूरी तरह से जनहित, शासनहित और भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया था। अधिकारियों के अनुसार, आसपास के क्षेत्रों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य वहां के नागरिकों को शहरी सुविधाओं से सीधे जोडना, निकाय के राजस्व में वृद्धि करना और पंचायतों के विकास कार्यों में भी गति लाना है। जिससे इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को शहरी सुविधाएं बेहतर तरीके से मिलेगी और नपा के भी राजस्व में वृद्धि होगी।

फोटो वायरल करने की धमकी, आरोपी गिरफ्तार

बैतूल। कोतवाली बैतूल पुलिस ने महिला को धमकाकर उसके फोटो वायरल करने की धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 07 मार्च को फरियादिया ने कोतवाली थाना बैतूल में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि आरोपी दिगम्बर नागले पिता मनोज नागले उम्र 18 वर्ष 15 दिन निवासी कमलेशवरा थाना बोरदेही द्वारा उसके साथ बुरा काम किया गया है तथा उसके फोटो वायरल करने की धमकी दी जा रही है। महिला द्वारा प्रस्तुत किए गए फोटो एवं रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए थाना कोतवाली बैतूल में धारा 69, 351(3) बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी दिगम्बर नागले को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। उक्त संपूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक देवकरण डेहरिया, उपनिरीक्षक चित्रा कुमरे, सहायक उपनिरीक्षक सुरेश चौधरी, आरक्षक 344 मदनलाल, थाना आमला से सहायक उपनिरीक्षक रामेश्वर सिंह एवं आरक्षक 395 नागेन्द्र सिंह की विशेष भूमिका रही।